सेवा में

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी / महाप्रबन्धक (सी.टी.यू.) महोदय सौदामनी, प्लाट नं0—2, सेक्टर 29 गुरूग्राम, 122001

## विषय:—सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा (6) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत

महोदय,

उत्तराखण्ड ट्रांसिमशन पावर कॉरपोरेशन (KTR) के अन्तर्गत श्रीनगर—कोटद्वार से काशीपुर रम्पुरा, जिला उधम सिंह नगर के लिए प्रस्तावित 400 किलोवाट की पावर लाईन के सापेक्ष निम्न बिन्दूओं पर सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें :—

1-क-एप्रुव्ड टॉवर प्रोफाइल (Approved Tower Profile)

- ख- जी.पी.एस. कोडिनेट (G.P.S. Coordinates)
- ग- गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification)
- 2— बांसखेड़ा खुर्द काशीपुर जिला उधम सिंह नगर से सम्बन्धितः—
- क— पावर लाईन पर कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, वर्ष सहित सेटेलाईट व भौतिक सत्यापन के मानचित्र की प्रमाणित प्रति ।
- ख— बांसखेड़ा खुर्द के पावर लाईन का सर्वे सैटेलाईट व भौतिक सत्यापन के साथ, खसरा नम्बर सहित, मानचित्र की प्रमाणित प्रति
- ग— पावर लाईन पर कितनी बार सर्वे की गई, सेटेलाईट व भौतिक सत्यापन के साथ किया गया अथवा सर्वे पर की गई आपत्ति निस्तारण की प्रमाणित प्रति व निस्तारण करने वाले सक्षम अधिकारी की आख्या की प्रमाणित प्रति।
- घ— कार्य प्रारम्भ होने से दिनांक 30.06.2023 तक बासखेड़ा खुर्द में दर्ज की गई आपत्ति व निस्तारण तिथि की प्रमाणित प्रति।
- ड़— भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष विस्तृत विवरण।
- च— पावर लाईन सर्वे के उपरांत लाईन पर बने मकान, घर व कारखाना आदि बनाने के उपरांत विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की विस्तृत सूचना की प्रमाणित प्रति सहित।
- छ— बासखेड़ा खुर्द के Government Officer का नाम, पता, व सम्पर्क नम्बर जो इस लाईन को सुपरवाइज कर रहे है।

उपरोक्त सूचना को की प्रमाणित प्रति पत्र प्राप्ति के 15 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करे। नोट:- इस प्रार्थना-पत्र के साथ 10 / रुपये का भारतीय ई स्टाम्प सं0-. संलग्न है।

दिनांक 20.11.2023

प्रार्थी यशपाल सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह निवासी बासखेंड़ा खुर्द, काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड 244713, मो0— 9927083662